



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052023-245645
CG-DL-E-03052023-245645

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1971]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 1971]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
(आयकर)

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2059(अ).—जबकि, आय पर दोहरे कराधान और वित्तीय अपवंचन तथा कर परिहार को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा चिली गणराज्य की सरकार के बीच दिनांक 09 मार्च, 2020 को चिली में एक करार और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गये थे, जो कि इस अधिसूचना के अनुबंध में दिए गए हैं (एतश्मिन पश्चात् उक्त करार एवं प्रोटोकॉल से संदर्भित किया गया है);

और जबकि, उक्त करार एवं प्रोटोकॉल दिनांक 19 अक्तूबर, 2022 को लागू हो गया था, जो कि उक्त करार के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 1 के अनुसार, उक्त करार एवं प्रोटोकॉल को लागू किये जाने के लिए संविदाकारी राज्यों के अपने-अपने कानूनों के द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा किये जाने की अधिसूचनाओं की तारीख थी;

और जबकि उक्त करार के अनुच्छेद 30 के पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (क) में यह प्रावधान किया गया है कि इस करार के प्रावधान भारत में जिस तारीख को यह करार लागू हुआ हो उसके अगले 01 अप्रैल को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी वित्त वर्ष में अर्जित आय के संबंध में लागू होंगे;

अतः अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, यह अधिसूचित करती है कि उक्त करार एवं प्रोटोकॉल, जो कि संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं, भारत संघ में लागू होंगे।

अनुबंध
भारत गणराज्य
तथा
चिली गणराज्य के बीच
आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान को समाप्त करने
और राजकोषीय अपवंचन को रोकने तथा उसका परिहार करने के लिए
करार।

भारत गणराज्य की सरकार तथा चिली गणराज्य की सरकार,

आगे अपने आर्थिक संबंध और विकसित करने तथा कर मामलों में अपना सहयोग और बढ़ाने के इच्छुक होकर,

गैर-कराधान हेतु अवसर सृजन किए बिना अथवा कर अपवंचन अथवा परिहार के माध्यम से कराधान कम करके (तीसरे राज्यों के निवासियों के अप्रत्यक्ष लाभ हेतु इस करार में प्रदान की गई छूट प्राप्त करने पर केन्द्रित संधि शोपिंग व्यवस्थाओं के माध्यम सहित) आय पर करों के बारे में दोहरे कराधान को समाप्त करने के लिए एक करार सम्पन्न करने आशय से

इस प्रकार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

शामिल व्यक्ति

1. यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं।
2. इस करार के प्रयोजनार्थ, किसी सत्ता या प्रबंधन से अथवा इसके द्वारा प्राप्त की गई आय, जो संविदाकारी राज्यों में से किसी में स्थित है और जिसे किसी भी संविदाकारी राज्य के कर कानून के अन्तर्गत पूर्णतया अथवा अंशतः राजकोषीय पारदर्शी के रूप में माना गया है, को केवल उस सीमा तक संविदाकारी राज्य के निवासी की ही आय होने पर विचार किया जाएगा कि आय को उस संविदाकारी राज्य के निवासी की आय के रूप में उस संविदाकारी राज्य द्वारा कराधान के प्रयोजनार्थ माना गया है।
3. अनुच्छेद 9 के पैरा 2 तथा अनुच्छेद 19, 20, 22, 23, 24, तथा 27 के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को छोड़कर यह करार किसी संविदाकारी देश द्वारा उसके निवासियों के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 2

इस करार के अन्तर्गत आने वाले कर

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं।
2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशि पर करों सहित कुल आय पर, पूंजीगत अभिमूल्यन पर कर अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा।
3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा, वे हैं :
 - (क) भारत में आयकर, उस पर लगे किसी अधिप्रभार सहित; (इसके बाद इसे “भारतीय कर” कहा जाएगा);
 - (ख) चिली में आयकर अधिनियम, “*Ley sobre Impuesto a la Renta*” (इसके बाद इसे “चिली का कर” कहा जाएगा) के तहत लगाए गए कर;
4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए हों।

अनुच्छेद 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) भारत शब्द का अर्थ है भारत का राज्यक्षेत्र और इसमें प्रादेशिक समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है, भारतीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;

(ख) "चिली" शब्द का अर्थ चिली गणराज्य है और इसमें चिली गणराज्य के कानूनों के तहत नामित क्षेत्रीय समुद्र के बाहर का क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार वह क्षेत्र शामिल है, जिसके भीतर चिली गणराज्य समुद्री तल और अवभूमि और उनके प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में संप्रभु अधिकारों का प्रयोग कर सकता है;

(ग) "संविदाकारी राज्य" और "दूसरे संविदाकारी राज्य" पदों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार भारत अथवा चिली अभिप्रेत है;

(घ) "व्यक्ति" में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, तथा व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय शामिल है;

(ङ.) "कम्पनी" शब्द से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

(च) "उद्यम" शब्द किसी प्रकार के कारोबार को करने पर लागू होगा;

(छ) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है;

(ज) "अंतर्राष्ट्रीय यातायात" शब्द का अर्थ समुद्री जहाज या वायुयान द्वारा किसी भी परिवहन से है, सिवाय इसके कि जब जहाज या विमान केवल एक संविदाकारी राज्य में स्थानों के बीच कार्यरत हो और जहाज या विमान का संचालन करने वाला उद्यम उस राज्य का उद्यम न हो;

(झ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है:

(i) भारत में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि; तथा

(ii) चिली में, वित्त मंत्री, राजस्व सेवा के आयुक्त या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि;

(ञ) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेत है:

(i) किसी एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्रिकता धारण करने वाला कोई व्यक्ति;

(ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी और संस्था, जिसे अपनी इस तरह की हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;

(ट) "कर" शब्द से संदर्भ के अनुसार भारतीय अथवा चिली का कर अभिप्रेत है।

(ठ) "राजकोषीय वर्ष" शब्द से अभिप्रेत है:

(i) भारत के मामले में, अप्रैल की पहली तारीख से शुरू होने वाला वित्तीय वर्ष;

(ii) चिली के मामले में: जैसा कि घरेलू कानून में परिभाषित किया गया है।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस करों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य, जिस पर यह करार लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय होता है और यह अर्थ उस राज्य में लागू किए जाने वाले कर कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं।

अनुच्छेद 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास, निगमन के स्थान, प्रबन्ध-स्थान अथवा इसी स्वरूप के किसी ऐसे ही कारण से कर लगाया जा सकता है और, इसमें वह राज्य और इसका कोई राजनयिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है। तथापि, इस शब्द में वह कोई व्यक्ति शामिल नहीं होता है जो उस राज्य में केवल स्रोत से आय तथा उसमें स्थित पूंजी से उस राज्य में कर देने के लिए उत्तरदायी है।

2. जहाँ पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण यदि कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहाँ उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

(क) उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहाँ उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र);

(ख) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसे दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो उसे केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका पारंपरिक निवास हो;

(ग) यदि उसका पारंपरिक रूप से दोनों ही राज्यों में निवास हो अथवा उनमें से किसी भी में न हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है;

(घ) यदि वह दोनों राज्यों का निवासी है या दोनों में से किसी का भी नहीं है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से इस प्रश्न का समाधान करेंगे।

3. जहाँ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसे केवल उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका कि वह एक राष्ट्रिक है। यदि व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है या उनमें से किसी का भी नहीं है तो संविदाकारी राज्य आपसी समझौते की प्रक्रिया द्वारा मामले को निपटाने का प्रयास करेंगे। संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारियों द्वारा आपसी समझौते के अभाव में, वह व्यक्ति इस करार में प्रावधान किए गए कर से किसी भी राहत या छूट का हकदार नहीं होगा।

“अनुच्छेद 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, “स्थायी संस्थापन” पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है; जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है।

2. स्थायी संस्थापन पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध का कोई स्थान;

(ख) कोई शाखा;

(ग) कोई कार्यालय;

(घ) कोई कारखाना;

(ङ.) कोई कार्यशाला;

(च) कोई बिक्री केन्द्र;

(छ) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भण्डार, जो दूसरों को भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो;

(ज) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान; और

(झ) एक संस्थापन या संरचना, या संयंत्र या उपकरण, जिसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण या दोहन के लिए किया जाता है।

3. “स्थायी संस्थापन” शब्द में ये भी सम्मिलित होंगे:

(क) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, सन्योजन अथवा प्रस्थापन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप, केवल तभी यदि ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप किसी भी बारह माह की अवधि के भीतर कुल 183 दिन या इससे अधिक समय तक की अवधि या अवधियों तक चले;

(ख) सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे हुए कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों के माध्यम से किसी उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, जहां उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी बारह महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए देश के भीतर जारी रहती हों;

(ग) एक संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा उस दूसरे राज्य में अन्वेषण के लिए गतिविधियाँ जारी रखे जाना (महत्वपूर्ण उपस्करों के प्रचालन सहित) अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए किन्हीं 12 महीनों की अवधि में कुल मिलाकर 90 अथवा उससे अधिक दिनों की अवधि अथवा अवधियों के लिए कार्यकलाप जारी रखना।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के बावजूद भी “स्थायी संस्थापन” पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

(क) उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना;

(ख) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना;

(घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

(ङ.) उद्यम के लिए केवल विज्ञापन देने, सूचनाएं उपलब्ध करवाने अथवा वैज्ञानिकी खोज करने के प्रयोजनार्थ कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

बशर्ते ऐसी गतिविधि एक प्रारंभिक या सहायक चरित्र की हो।

4.1 पैराग्राफ 4 बिजनेस के निश्चित स्थान को लागू नहीं होगा जिसे एक उपक्रम द्वारा प्रयोग किया गया है अथवा रखरखाव किया गया है यदि वही उपक्रम अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित उपक्रम उसी संविदाकारी राज्य में उसी स्थान अथवा दूसरे स्थान पर बिजनेस कार्यकलाप जारी रखता है तथा

क) वह स्थान अथवा दूसरा स्थान इस अनुच्छेद के उपबंधों के अंतर्गत उपक्रम अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित उपक्रम हेतु स्थायी संस्थापन का गठन करता है, अथवा

ख) एक ही स्थान पर दो उपक्रमों द्वारा अथवा दो स्थानों पर उसी उपक्रम अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित उपक्रमों द्वारा किए गए कार्यकलापों के संयोजन से होने वाले समग्र कार्यकलाप प्रारंभिक अथवा सहायक प्रकृति के नहीं हैं,

बशर्ते कि उसी स्थान पर दो उपक्रमों द्वारा अथवा दो स्थानों पर उसी उपक्रम द्वारा अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित उपक्रमों द्वारा किए गए बिजनेस कार्यकलाप पूरक कार्यों का गठन करते हैं जो सशक्त बिजनेस ऑपरेशन का हिस्सा है।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी परंतु पैराग्राफ 7 के प्रावधानों के अध्यधीन, जहां एक व्यक्ति किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्यरत है, वहां उन कार्यकलापों के संबंध में जिन्हें वह व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, उस राज्य में उस उद्यम के स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को:

(क) आदतन संविदाएं पूर्ण करता है अथवा आदतन ऐसी भूमिका निभाता है जो किसी उद्यम के द्वारा पर्याप्त संशोधनों के बिना ऐसी संविदाओं को पूर्ण करता हो जो रोजमर्रा की प्रकृति की हैं तथा ये संविदाएं

(i) उस उद्यम के नाम से की जाती हैं, अथवा

(ii) स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए, अथवा प्रयोग के अधिकार प्रदान करने के लिए, उस उपक्रम द्वारा स्वामित्व वाली संपत्ति अथवा यह कि उपक्रम के पास प्रयोग करने का अधिकार है, अथवा

(iii) उस उद्यम द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के प्रावधान हेतु,

जब तक कि उस व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित हों, यदि कारोबार के एक निश्चित स्थान से प्रयोग करता है (कारोबार के एक निश्चित स्थान जिसमें पैराग्राफ 4.1 लागू होगा, को छोड़कर), तो उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा; अथवा

(ख) आदतन अनुबंधों का समापन नहीं करता है और न ही ऐसे अनुबंधों के समापन के लिए प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन आदतन उस राज्य में माल या वस्तुओं का भंडार रखता है जहां से वह व्यक्ति उद्यम की ओर से नियमित रूप से माल या वस्तुएं वितरित करता है; या

(ग) स्वयं, उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया प्रथमोल्लिखित राज्य में पारंपरिक रूप से कार्य का आर्डर प्राप्त करता हो।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम को पुनः बीमा करने के मामले को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा, यदि वह स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस अन्य राज्य के क्षेत्र में बीमे का प्रीमियम एकत्र करता है अथवा वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है।

7. पैराग्राफ 5 वहां लागू नहीं होगा जहां कार्यरत कोई व्यक्ति किसी संविदाकारी देश में अन्य संविदाकारी देश के किसी उद्यम की ओर से प्रथमतः उल्लिखित देश में एक स्वतंत्र अभिकरण (एजेंट) के रूप में व्यवसाय करता है तथा उस व्यवसाय की एक सामान्य गतिविधि के रूप में कामकाज करता है।

फिर भी, जहां कोई व्यक्ति विशिष्टतः अथवा लगभग विशिष्टतः एक अथवा अधिक उद्यमों की ओर से जिनसे वह करीबी रूप से जुड़ा है कामकाज करता है तो उस व्यक्ति को किसी ऐसे उद्यम के संबंध में, इस पैरा के अर्थ के भीतर एक स्वतंत्र अभिकरण (एजेंट) नहीं माना जाएगा।

8. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, को उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा।

9. इस अनुच्छेद के उद्देश्यार्थ, कोई व्यक्ति अथवा उद्यम किसी उद्यम से करीबी रूप से जुड़ा माना जाएगा यदि सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर एक का दूसरे पर नियंत्रण हो अथवा दोनों ही किसी एक व्यक्ति अथवा उद्यमों के नियंत्रण में हो।

किसी भी सूरत में, किसी व्यक्ति या उद्यम को किसी उद्यम से करीबी रूप से जुड़ा माना जाएगा यदि वह प्रत्यक्षः अथवा अप्रत्यक्षः दूसरे में 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी हित रखता है (अथवा, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के कुल वोट तथा शेयरों अथवा कम्पनी में लाभकारी इक्विटी हित के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक है) अथवा यदि अन्य किसी व्यक्ति या उद्यम का प्रत्यक्षः अथवा अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति तथा उस उद्यम अथवा दो उद्यमों में 50 प्रतिशत से अधिक लाभकारी हित है (अथवा, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के कुल वोट तथा शेयरों अथवा कम्पनी में लाभकारी इक्विटी हित के मूल्य का 50 प्रतिशत से अधिक है)।

अनुच्छेद 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (जिसमें कृषि अथवा वानिकी की आय भी शामिल है) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2. इस करार के प्रयोजनार्थ, “अचल सम्पत्ति” पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है, के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है। इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार; जलयान और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने, अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर लागू होंगे।
4. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से अर्जित आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

“अनुच्छेद 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो। यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करता हो या उसने किया है तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे।
2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की संभावना तब होगी जब एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगे हुए कोई और भिन्न उद्यम हो और वे उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका वह एक स्थायी संस्थापन है।
3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार लगाए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस राज्य में उस राज्य के कर कानूनों के उपबंधों और उनकी परिसीमाओं के अनुसार किए गए हों, जिसमें स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों।
4. जहां एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से कर योग्य लाभ का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी; तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुकूल होगा।
5. कोई लाभ, केवल इस कारण स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने, उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं।
6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठीक तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।
7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे।

“अनुच्छेद 8

अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी तथा वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा। दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य के भीतर संपत्ति या यात्रियों के अंतर्देशीय परिवहन से एक उद्यम द्वारा प्राप्त मुनाफे को अंतरराष्ट्रीय यातायात में समुद्री जहाजों या वायुयानों के संचालन से लाभ के रूप में माना जाएगा यदि इस तरह के उद्यम द्वारा किए गए अंतराष्ट्रीय परिवहन के हिस्से के रूप में ऐसा परिवहन किया जाता है।
2. किसी परिवहन उद्यम, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, द्वारा अंतरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त कंटेनरों (जिसमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर तथा अन्य उपस्कर शामिल हैं) के प्रयोग, रख-रखाव अथवा कंटेनरों को किराए पर देने से प्राप्त लाभ जो इसके जलयानों अथवा वायुयानों के अंतरराष्ट्रीय प्रचालन से प्रासंगिक है, केवल उसी संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे जब तक कि उन कंटेनरों का प्रयोग केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर न किया जाए।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा वायुयानों के प्रचालन से सीधे संबद्ध निवेशों पर ब्याज को इस अनुच्छेद के तहत ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ के रूप में माना जाएगा यदि वे ऐसा व्यवसाय करने के लिए उसके अभिन्न अंग हैं एवं प्रासंगिक हैं और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे।
4. पैराग्राफ 1 के उपबंध किसी पूल में भागीदारी, किसी संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे।

“अनुच्छेद 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां

- (क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है; अथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाएंगी तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तदनुसार कर लगाया जा सकेगा।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तदनुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होतीं, तब वह दूसरा राज्य, यदि वह इस बात पर सहमत है कि प्रथमोल्लिखित राज्य द्वारा किया गया समायोजन सैधांतिक तौर पर एवं राशि दोनों में उचित है, उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा। इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे।

अनुच्छेद 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।
2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसका लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांश का हितभागी स्वामी अन्य संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभार्य कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस पैराग्राफ का उन लाभों के संबंध में कम्पनी कराधान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभांशों का भुगतान किया जाता है।
3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त “लाभांश” पद का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभ की भागीदारिता के ऋण के दावे न हों, और अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह

इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हों, अथवा जब तक कि जिस सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों।

“अनुच्छेद 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।
2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. इस अनुच्छेद में यथा - प्रयुक्त “ब्याज” शब्द से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों अथवा नहीं और विशेष रूप से, सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से प्राप्त आय जिसमें ऐसे बंधपत्रों अथवा ऋण-पत्रों से संबंधित प्रीमियम शामिल हों, तथा उस राज्य के कराधान कानून द्वारा उधार दी गई राशि की आय के साथ आत्मसात आय जिसमें ऐसी आय सृजित होती है। फिर भी, “ब्याज” शब्द में अनुच्छेद 8 या अनुच्छेद 10 में वर्णित आय शामिल नहीं है।
4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।
5. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में ऋण जिस पर ब्याज प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।
6. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज रकम उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गयी अदायगियों की रकम के अधिक भाग पर प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार, इस करार के अन्य उपबंधों का यथोचित ध्यान रखकर, कर लगाया जाता रहेगा।

“अनुच्छेद 12

रायल्टियां

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टी पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि रायल्टी का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, रायल्टी की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमाटोग्राफिक फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया या ऐसी ही दूसरी अगोचर सम्पत्ति, किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रॉयल्टी का हितभागी स्वामी, संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रॉयल्टी उद्भूत हुई हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस संपत्ति के अधिकार के बारे में रॉयल्टी अदा की गयी हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध हो। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. रॉयल्टियां किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो। तथापि, जहां रायल्टी अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में दायित्व जिस पर रायल्टी प्रदत्त किया गया था, इस प्रकार की रायल्टी इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन किया जाता है, तो इस प्रकार की रायल्टी उस राज्य में उद्भूत हुआ मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई रॉयल्टी की रकम उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के प्रावधान केवल अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गयी अदायगियों की रकम के अधिक भाग पर प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार, इस करार के अन्य उपबंधों का यथोचित ध्यान रखकर, कर लगाया जाता रहेगा।

अनुच्छेद 12क

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

2. "तथापि, अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के होते हुए भी और अनुच्छेद 8, 16 और 17 के प्रावधानों के शर्ताधीन, एक संविदाकारी राज्य में सृजित तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी व उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकता है जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि फीस का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, फीस की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" शब्द का अर्थ किसी भी प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्शी प्रकृति की किसी भी सेवा के एवज में भुगतान से है, जब तक कि भुगतान नहीं किया जाता है:

(क) भुगतान करने वाले व्यक्ति के कर्मचारी को;

(ख) डिग्री प्रदाता कार्यक्रम के अंश के तौर पर शिक्षण संस्थान में पढ़ाने के लिए या शिक्षण संस्थान द्वारा पढ़ाने के लिए; या

(ग) एक व्यक्ति के व्यक्तिगत उपयोग के लिए सेवाओं के लिए एक व्यक्ति द्वारा।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है, तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, पैराग्राफ 6 के अध्यक्षीन, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस को एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होना माना जाएगा यदि भुगतानकर्ता उस राज्य का निवासी है या यदि वह व्यक्ति जो शुल्क का भुगतान कर रहा है, चाहे वह व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य का निवासी है या नहीं, का प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन है या एक निश्चित आधार है जिसके संबंध में फीस का भुगतान करने की बाध्यता थी, और ऐसी फीस स्थायी संस्थापन या निश्चित आधार द्वारा वहन की जाती है।

6. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस को एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न नहीं होना माना जाएगा यदि भुगतानकर्ता उस राज्य का निवासी है और उस दूसरे राज्य अथवा तीसरे राज्य में स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य अथवा तीसरे राज्य में व्यवसाय करता है या उस दूसरे राज्य अथवा तीसरे राज्य में स्थित एक निश्चित आधार के माध्यम से स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं का निष्पादन करता है और इस तरह की फीस उस स्थायी संस्थापन या निश्चित आधार द्वारा वहन की जाती है।

7. जहां, अदा करने वाले और तकनीकी सेवाओं के लिए हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई फीस की रकम, उन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए उन्हें रकम अदा की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में, अदा की गयी फीस की रकम के अधिक भाग पर प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार, इस करार के अन्य उपबंधों का यथोचित ध्यान रखकर, कर लगाया जाता रहेगा।

अनुच्छेद 13

पूँजीगत अभिलाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त लाभ पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ पर, जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले ऐसे अभिलाभ भी शामिल हैं, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों के अंतरण से अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के परिचालन से संबंधित चल सम्पत्ति से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसका वह बिक्रेता निवासी है।

4. एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा शेयरों, एक कम्पनी की पूँजी को दर्शाने वाले अन्य अधिकार, या तुलनीय हित, जैसे किसी भागीदारी या न्यास में हित, पर दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है यदि, बिक्री से पूर्व के 365 दिनों के दौरान किसी भी समय, इन शेयरों, अधिकारों या तुलनीय हितों से उस दूसरे राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उनके मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक, अनुच्छेद 6 में यथा परिभाषित, लाभ अर्जित किया हो।

5. शेयरों या एक कम्पनी की पूँजी, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, का प्रदर्शन करने वाले अन्य अधिकारों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिक्री से एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त लाभ, पैरा 4 में उल्लिखित अन्य के अलावा, पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकता है।

6. पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 तथा 5 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।

अनुच्छेद 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के सम्बंध में अथवा इसी प्रकार के स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर जब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा।

(क) यदि उसका अपने कार्य-कलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

- (ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसकी उपस्थिति की अवधि या अवधियां संबंधित किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा उससे अधिक दिन हों, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त हुई हो।
2. “व्यावसायिक सेवाएं” पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, शल्य-चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप शामिल हैं।

अनुच्छेद 15

परावलम्बित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19 और 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, बशर्ते कि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। यदि ऐसा नियोजन किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।
2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जा सकेगा यदि :
- (क) प्राप्तकर्ता, संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारंभ हुए किसी बारह महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रह रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं हैं; और
 - (ख) पारिश्रमिक ऐसे किसी व्यक्ति नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है, और
 - (ग) पारिश्रमिक ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य में हो।
3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के बावजूद, एक रोजगार के संबंध में एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, समुद्री जहाज या वायुयान के नियमित पूरक के एक सदस्य के रूप में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय यातायात में संचालित एक जहाज या विमान पर सवार रहते हुए किया जाता है, दूसरे संविदाकारी राज्य के पूरी तरह भीतर से संचालित जहाज या विमान पर सवार होने को छोड़कर, पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर योग्य होगा।

अनुच्छेद 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस और इसी तरह की अन्य अदायगियों पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कम्पनी, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल अथवा इसी प्रकार के अवयव (आर्गन) के सदस्य की हैसियत से प्राप्त की गई हो, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार अथवा किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के बावजूद, उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ियों के कार्य-कलाप किए जाते हों।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के बावजूद, जहां आय एक संविदाकारी राज्य में मनोरंजनकर्ताओं या खिलाड़ियों द्वारा की गई गतिविधियों से अर्जित होती है और उस राज्य की यात्रा पूरी तरह से या मुख्य रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के सार्वजनिक धन से वित्तपोषित होती है, तो प्रथमोल्लिखित राज्य दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा अदा किए गए ऐसे सार्वजनिक धन द्वारा मनोरंजनकर्ताओं या खिलाड़ियों को प्रदान की गई आय पर कर नहीं लगाएगा।

अनुच्छेद 18

पेंशन

एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाने वाली पेंशन पर प्रथमोल्लिखित राज्य में कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेद 19

सरकारी सेवा

1. (क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा किसी व्यक्ति को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी तथा अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा।

(ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और अन्य पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस राज्य में की जाती हैं, और व्यक्ति उस राज्य का एक निवासी हो, जो :

- (i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है; अथवा
- (ii) सेवाएं पेश करने के प्रयोजन मात्र के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना हो।

2. अनुच्छेद 15, 16, और 17 के उपबंध, किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में वेतन, मजदूरी और अन्य पारिश्रमिक पर लागू होंगे।

“अनुच्छेद 20

विद्यार्थी

वे भुगतान, जिन्हें कोई विद्यार्थी, प्रशिक्षु या व्यवसाय शिक्षार्थी जो दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले उन संविदाकारी राज्यों में से किसी एक का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, अपने भरण-पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्राप्त करता है, उसे उस राज्य में कर से छूट होगी, बशर्ते कि ऐसी अदायगियां उस राज्य के बाहर के स्रोत से प्राप्त होती हैं।

“अनुच्छेद 21

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथापरिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है और ऐसा अधिकार अथवा सम्पत्ति, जिसके संबंध में ऐसी आय अदा की जाती है, ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे।

3. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों होते हुए भी, के संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदों पर भी जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती है, उस दूसरे राज्य में भी कर लगेगा।

“अनुच्छेद 22

दोहरे कराधान के निरसन की विधियां

दोहरे कराधान को इस प्रकार से समाप्त किया जाएगा:

1. भारत में:

क) जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार चिली में कर लगाया जा सकता है, भारत वहां उस निवासी की आय पर कर से चिली में अदा किए गए कर के बराबर राशि की छूट की अनुमति देगा।

तथापि, ऐसी कटौती, छूट दिए जाने से पहले यथा-संगणित कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी, जिसका श्रेय उस आय को हो, जैसा भी मामला हो, जिस पर चिली में कर लगाया जा सकता है।

(ख) जहां इस करार के किसी उपबंध के अनुसार भारत के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय भारत में कर से छूट प्राप्त हो, भारत वहां फिर भी ऐसे निवासी की शेष आय पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूट-प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

2. चिली में:

(क) चिली में रहने वाले निवासी जो इस करार के प्रावधानों के अनुसार वो आय अर्जित करते हैं जो भारत में कराधान के अध्यधीन है, इस प्रकार अदा किए गए कर को ऐसी ही आय के सम्बंध में देय किसी भी चिली के कर के प्रति क्रेडिट कर सकते हैं, चिली के कानून के लागू प्रावधानों के शर्ताधीन (जो इस अनुच्छेद के सामान्य सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेंगे)। यह पैराग्राफ इस करार में उल्लिखित सभी आय पर लागू होगा;

(ख) जहां इस करार के किसी उपबंध के अनुसार चिली के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय चिली में कर से छूट प्राप्त हो, चिली वहां फिर भी अन्य आय पर कर की धनराशि की संगणना के समय छूट-प्राप्त आय को ध्यान में रखेगा।

अनुच्छेद 23

गैर-भेदभाव

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर विशेषतः निवास के संबंध में उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जा सकती हो। अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो। इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों से उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे, जो वह अपने निवासियों को देता है।

3. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 6, अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 या अनुच्छेद 12क के पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गए व्याज, रायल्टी, अन्य संवितरण तथा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती-योग्य होंगे मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को किया गया हो।

4. एक संविदाकारी राज्य की कम्पनियों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार की कम्पनियों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है।

5. इस अनुच्छेद में “कराधान” पद से अभिप्राय, इस करार में यथा-विनिर्दिष्ट प्रत्येक विषय के करों से है।

“अनुच्छेद 24**पारस्परिक करार की कार्य-विधि**

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपायों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है। इस मामले को उस कार्यवाही की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।
2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ एक पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार किए गए किसी करार को संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में किन्हीं समय सीमाओं के होते हुए भी क्रियान्वित किया जाएगा।
3. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाईयां अथवा शंकाएं हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। दोहरे कराधान को दूर करने के लिए, उन मामलों में, जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गयी है, एक दूसरे से परामर्श कर सकते हैं।
4. पिछले पैराग्राफों के अभिप्रायों से कोई करार करने के प्रयोजनार्थ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। यदि किसी समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उपयुक्त हो तो ऐसे आदान-प्रदान संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों के किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है।

“अनुच्छेद 25**सूचनाओं का आदान-प्रदान**

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 से प्रतिबंधित नहीं है।
2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए सूचना का उपयोग करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो तथा आपूर्तिकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करते हों।
3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचना (जिसमें दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियां शामिल हैं) की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी सूचना का अनुरोध किया गया हो, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, भले ही दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना सप्लाई करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।

“अनुच्छेद 26

करों के संग्रहण में सहायता

संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता दे सकते हैं। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय करेंगे।

“अनुच्छेद 27

राजनयिक मिशन के सदस्य एवं कौंसुली पद

इस करार की किसी बात से अंतरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशन अथवा कौंसुली अधिकारियों के सदस्यों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

“अनुच्छेद 28

लाभों का परिसीमन

1. इस अनुच्छेद में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, एक संविदाकारी राज्य का निवासी किसी लाभ (अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 3 या अनुच्छेद 23 के तहत एक लाभ के अलावा) का हकदार नहीं होगा जो अन्यथा इस करार द्वारा दिया जाएगा, जब तक कि ऐसा निवासी " योग्य व्यक्ति " न हो, जैसा कि पैरा 2 में परिभाषित किया गया है, उस समय लाभ दिया जाएगा।

2. एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी उस समय जब इस करार द्वारा अन्यथा लाभ दिया जाता, एक अर्हता प्राप्त व्यक्ति होगा, उस समय, निवासी एक :

- क) व्यक्ति;
- ख) वह संविदाकारी राज्य, अथवा उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण, अथवा उस राज्य की कोई एजेंसी या संस्था, राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण;
- ग) कोई कम्पनी अथवा अन्य संस्था, यदि इसके शेयरों की मुख्य श्रेणी एक या अधिक मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में नियमित तौर पर ट्रेड की जाती है;
- घ) एक व्यक्ति, एक व्यष्टि के अलावा, जो संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारियों द्वारा सहमत एक गैर-लाभकारी संगठन है,
- ङ.) किसी व्यष्टि के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, यदि, उस समय तथा बारह महीने की अवधि के कम से कम आधे दिनों में जिसमें वह समय शामिल है, वे व्यक्ति जो उस संविदाकारी राज्य के निवासी हैं और जो कि उप-पैराग्राफ क) से घ) के तहत इस करार के लाभों के हकदार हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उस व्यक्ति के कम से कम 50 प्रतिशत शेयरों के स्वामी हों;

3.

- क) एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी दूसरे संविदाकारी क्षेत्राधिकार से अर्जित आय के सम्बंध में इस करार के तहत लाभों का हकदार होगा, चाहे वह निवासी एक अर्हता प्राप्त व्यक्ति है या नहीं, यदि वह निवासी प्रथमोल्लिखित राज्य में किसी व्यवसाय के सक्रिय संचालन में कार्यरत हो, और उस दूसरे राज्य से प्राप्त आय उस व्यवसाय से उत्पन्न होती हो या उससे आनुषंगिक हो। इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, "किसी व्यवसाय का सक्रिय संचालन" में निम्नलिखित गतिविधियां अथवा उनका कोई संयोजन शामिल नहीं होगा:
- (i) होलिंग कम्पनी के रूप में संचालन;
 - (ii) कम्पनियों के समूह को सम्पूर्ण पर्यवेक्षण अथवा प्रशासन उपलब्ध करवाना;
 - (iii) सामूहिक वित्तपोषण उपलब्ध करवाना (कैश पूलिंग सहित); अथवा
 - (iv) निवेश करना अथवा उसका प्रबंधन करना, जब तक कि ये गतिविधियां किसी बैंक अथवा संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमत वित्तीय संस्थानों, बीमा उद्यमों अथवा पंजीकृत प्रतिभूति डीलर द्वारा उनके व्यवसाय की सामान्य स्थिति में न की जाती हों।
- ख) यदि एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी उस निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में संचालित कारोबारी गतिविधि से आय अर्जित करता है, अथवा किसी सम्बंधित व्यक्ति से दूसरे राज्य में उत्पन्न आय प्राप्त करता है, तो ऐसी आय के सम्बंध में उप-पैराग्राफ क) में वर्णित शर्तें केवल तभी पूरी हुई मानी जाएंगी यदि उस प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में जिससे वह आय सम्बंधित है, उस निवासी द्वारा संचालित की गई कारोबारी गतिविधि उस निवासी द्वारा अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसे सम्बंधित व्यक्ति द्वारा उसी या सहयोगी कारोबारी गतिविधि के सम्बंध में पर्याप्त है। इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ कोई कारोबारी गतिविधि पर्याप्त है या नहीं, वह सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- ग) यह पैराग्राफ लागू करने के लिए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी के संबंध में सम्बंधित व्यक्तियों द्वारा संचालित गतिविधियां ऐसे निवासी द्वारा संचालित की गई मानी जाएंगी।

4. एक कंपनी जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है वह उस लाभ की भी हकदार होगी जो अन्यथा अनुच्छेद 10 के तहत दी जाएगी यदि:

- क) उस समय जब लाभ अन्यथा संधारित किया जाएगा और किसी भी बारह-महीने की अवधि के कम से कम आधे दिनों में जिसमें वह समय शामिल होगा, कुल वोटों और उसके शेयरों के मूल्य का कम से कम 95 प्रतिशत (और शेयरों की किन्हीं असंगत श्रेणी के मूल्य एवं कुल वोट का कम से कम 50) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सात या उससे कम व्यक्तियों द्वारा, जो समान लाभार्थी हैं, धारित है, बशर्ते अप्रत्यक्ष स्वामित्व के मामले में, प्रत्येक मध्यवर्ती मालिक एक योग्य मध्यवर्ती मालिक हो, तथा
- ख) उस व्यक्ति की सकल आय का 50 प्रतिशत से कम, और परीक्षित समूह की सकल आय का 50 प्रतिशत से कम, कर योग्य अवधि के लिए जिसमें वह समय शामिल है, उस व्यक्ति के निवास के संविदाकारी राज्य में यथा निर्धारित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भुगतान किया जाता है या अर्जित किया जाता है, उन भुगतानों के रूप में जो इस अभिसमय द्वारा उस व्यक्ति के निवास के संविदाकारी राज्य में शामिल करों के प्रयोजनों के लिए उन व्यक्तियों के लिए जो समान लाभार्थी नहीं हैं, कटौती योग्य हैं (लेकिन सेवाओं या मूर्त संपत्ति के लिए सामान्य व्यवसाय में आर्म्स लेंथ भुगतान शामिल नहीं हैं, और एक परीक्षित समूह के मामले में, इंटर-ग्रुप लेनदेन सहित नहीं)।

5. यदि एक संविदाकारी राज्य का कोई निवासी न तो पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अनुसरण में अर्हता प्राप्त व्यक्ति है, न ही पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत लाभों का हकदार है, तो फिर भी दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी जिसमें इस अनुच्छेद के पहले वाले उपबंधों के तहत लाभों से मना किया गया है, इस करार के ध्येय एवं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इस करार के लाभ अथवा विशिष्ट आय से सम्बंधित लाभ प्रदान कर सकते हैं, परंतु केवल तभी यदि ऐसा निवासी ऐसे सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि तक यह दर्शाता है कि न तो उसके संस्थान, अधिग्रहण अथवा अनुरक्षण, और न ही इसके प्रचालनों के संचालन का उसके प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य इस करार के तहत लाभों की प्राप्ति था। संविदाकारी राज्य के

सक्षम प्राधिकारी, जिसको दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा इस पैराग्राफ के अंतर्गत अनुरोध किया गया है, या तो अनुरोध मंजूर करने से पूर्व अथवा मना करने से पूर्व उस दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ विचार विमर्श करेगा।

6. इस अनुच्छेद और इस अनुच्छेद के पिछले पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ:

क) “मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” से तात्पर्य है:

- (i) किसी भी संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत इस प्रकार स्थापित एवं विनियमित कोई भी शेयर बाज़ार; तथा
- (ii) संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा सहमत कोई अन्य शेयर बाज़ार;

ख) उन सस्थाओं के सम्बंध में जो कम्पनियां नहीं हैं, “शेयर” शब्द का तात्पर्य हितों से है जो शेयरों के साथ तुलनीय हैं;

ग) “शेयरों का प्रमुख वर्ग” से तात्पर्य किसी उस कम्पनी अथवा सत्ता के शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है जो उस कम्पनी अथवा सत्ता के कुल वोट तथा मूल्य के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हों;

घ) दो व्यक्ति “संबद्ध व्यक्ति” होंगे यदि कोई एक व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरे में कम से कम 50 प्रतिशत के लाभकारी हित का मालिक हो (या, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के शेयरों के कुल वोट और मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत) या वह दूसरा व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्येक व्यक्ति में लाभप्रद हित के कम से कम 50 प्रतिशत (या, किसी कंपनी के मामले में, कंपनी के शेयरों के कुल वोट और मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत) का मालिक हो। किसी भी मामले में, कोई व्यक्ति दूसरे से जुड़ा माना जाएगा यदि सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर एक का दूसरे पर नियंत्रण हो अथवा दोनों ही किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नियंत्रण में हो।

ङ) “समतुल्य लाभार्थी” शब्द का अर्थ है - कोई भी व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य के घरेलू कानून के तहत उस संविदाकारी राज्य द्वारा दत्त आय के मद के संबंध में लाभ, इस करार या किसी भी अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौते जो इसके समकक्ष हैं या इससे अधिक अनुकूल हैं, इस करार के तहत आय की उस मद को दिए जाने वाले लाभ का हकदार होगा। यह निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कि क्या कोई व्यक्ति किसी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश के संबंध में एक समतुल्य लाभार्थी है, उस व्यक्ति को कंपनी समझा जाएगा और लाभांश अदा करने वाली कंपनी की उतनी ही पूंजी धारित करेगा जितनी पूंजी लाभांश के सम्बंध में लाभ का दावा करने वाली कंपनी धारित करती है।

च) शब्द “शेयरों की असंगत श्रेणी” का अर्थ है संविदाकारी राज्यों में से एक की निवासी कंपनी या इकाई के शेयरों की कोई श्रेणी जो कंपनी की विशेष संपत्ति या गतिविधियों द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में उत्पन्न कमाई में, शेयरधारक को लाभांश, मोचन भुगतान या अन्यथा के माध्यम से असंगत उच्च भागीदारी का हकदार बनाती है;

छ) शब्द “अर्हक मध्यवर्ती स्वामी” का अर्थ है एक मध्यवर्ती स्वामी जो या तो:

(i) उस एक राज्य का निवासी है, जिसका उस संविदाकारी राज्य के साथ दोहरे कराधान से बचने के लिए प्रभाव है, जहां से इस अभिसमय के तहत एक लाभ मांगा जा रहा है; या

(ii) उसी संविदाकारी राज्य का निवासी जिसकी निवासी वह कम्पनी है, जो पैरा 4 के तहत यह निर्धारित करने के लिए कि यह उस अभिसमय के तहत लाभ के लिए योग्य है या नहीं, परीक्षण लागू करती है।

ज) शब्द “परीक्षित समूह” का अर्थ है उस एक संविदाकारी राज्य का निवासी जो पैरा 4 के तहत यह निर्धारित करने के लिए कि यह उस अभिसमय के तहत वह लाभ के लिए योग्य है या नहीं, परीक्षण लागू करता है (“परीक्षित निवासी”), और कोई भी कंपनी या स्थायी संस्थापन जो:

(i) कर समेकन, राजकोषीय एकता या इसी तरह के शासन में परीक्षण किए गए निवासी के साथ एक सदस्य के रूप में भाग लेता है जिसमें समूह के सदस्यों को लाभ या हानि साझा करने की आवश्यकता होती है; या

(ii) संगत कर योग्य अवधि में समूह राहत या अन्य हानि साझाकरण शासन के अनुसरण में परीक्षण किए गए निवासी के साथ नुकसान साझा करता है;

- i) "सकल आय" शब्द का अर्थ है, कर योग्य अवधि, जिसमें वह समय भी शामिल है जब लाभ दिया जाएगा, के लिए व्यक्ति के निवास के संविदाकारी राज्य में यथा निर्धारित सकल प्राप्ति, सिवाय इसके कि जहाँ कोई व्यक्ति ऐसे व्यवसाय में कार्यरत है जिसमें निर्माण, माल की बिक्री या उत्पादन शामिल हो, "सकल आय" का अर्थ है ऐसी सकल प्राप्तियाँ जिनमें से बेची गई वस्तुओं की लागत घटाई गई हो, और जहाँ एक व्यक्ति गैर-वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत है, "सकल आय" का अर्थ है ऐसी सकल प्राप्तियाँ जिनमें से ऐसी रसीदें सृजित की प्रत्यक्ष लागत घटाई गई हो, बशर्ते:

(i) इस अभिसमय के अनुच्छेद 10 के तहत लाभ का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक होने के अलावा, सकल आय में किसी भी लाभांश के उस हिस्से को शामिल नहीं किया जाएगा जो उस व्यक्ति के निवास के संविदाकारी राज्य में कर से प्रभावी रूप से छूट प्राप्त हैं, चाहे कटौती के माध्यम से या अन्यथा; तथा

(ii) कर योग्य किसी भी लाभांश के हिस्से के संबंध में को छोड़कर, एक परीक्षण किए गए समूह की सकल आय में परीक्षण किए गए समूह के भीतरी कंपनियों के बीच लेनदेन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

7. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 से 6 के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।

8. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य से आय प्राप्त करता है और दूसरे संविदाकारी राज्य से आय एक स्थायी संस्थापन, जो तीसरे क्षेत्राधिकार में उस उद्यम का है, के कारण है, कर लाभ जो अन्यथा करार के अन्य प्रावधानों के तहत लागू होंगे उस आय पर लागू नहीं होंगे, अगर संयुक्त कर जो वास्तव में प्रथमोल्लिखित राज्य में और तीसरे क्षेत्राधिकार में ऐसी आय के संबंध में अदा किया गया है, उस कर के 60% से कम है जो प्रथमोल्लिखित राज्य में लगाया जाएगा यदि उद्यम द्वारा वह आय उस राज्य में अर्जित या प्राप्त की गई थी और तीसरे क्षेत्राधिकार में स्थायी संस्थापन के कारण नहीं थी। कोई भी आय, जिस पर इस पैराग्राफ के प्रावधान लागू होते हैं, वह दूसरे राज्य के घरेलू कानून के प्रावधानों के तहत कर के अध्यधीन होगी, करार के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद।

9. इस करार के अन्य उपबंधों के बावजूद, इस करार के अंतर्गत आय के किसी मद के संबंध में कोई लाभ नहीं दिया जाएगा यदि सभी संगत तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह मानना समुचित हो कि इस प्रकार का लाभ हासिल करना ही किसी समझौते अथवा संव्यवहार के मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ही था जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः वह लाभ हुआ है, जब तक कि यह सिद्ध नहीं होता हो कि इन परिस्थितियों में उस लाभ का प्रदान किया जाना इस करार के संगत उपबंधों के लक्ष्य तथा उद्देश्यों के अनुरूप है।

10. इस करार के उपबंध किसी भी स्थिति में एक संविदाकारी राज्य को कर परिहार अथवा अपवंचन के संबंध में अपने स्वदेशी कानून एवं उपायों के उपबंधों को लागू करने से नहीं रोकेंगे।

11. इस करार के प्रावधानों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य अपने घरेलू कानून के अनुसार उस राज्य में उत्पन्न होने वाली और उस दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त आय जहाँ ऐसी आय उस दूसरे संविदाकारी राज्य में प्रभावी रूप से कराधीन नहीं है, पर कर लगाने के अधिकार को बनाए रखेगा।

“अनुच्छेद 29

विविध नियमावलियां

1. जमा निवेश खातों या धन के संबंध में, जो एक प्रेषण कर के अध्यधीन हैं और चिली में किसी निवासी द्वारा प्रशासित किए जाने अपेक्षित है, इस करार के प्रावधानों की व्याख्या चिली में स्थित परिसम्पत्तियों में निवेश के सम्बंध में ऐसे खातों या निधियों से प्रेषणों पर चिली द्वारा कर लगाए जाने पर रोक लगाने के लिए नहीं की जाएगी।

2. सेवाओं में व्यापार पर सामान्य करार के अनुच्छेद XXII (परामर्श) के पैराग्राफ 3 के प्रयोजनार्थ, संविदाकारी राज्य इस बात से सहमत हैं कि, उस पैराग्राफ के बावजूद, उनके बीच कोई भी विवाद इस करार के दायरे में आता है या नहीं, इस विवाद को केवल दोनों संविदाकारी राज्यों की सहमति से सेवाओं में व्यापार सम्बंधी परिषद के समक्ष लाया जा सकता है, जैसा कि उस पैराग्राफ में दिया गया है। इस पैराग्राफ की व्याख्या के बारे में कोई भी संदेह अनुच्छेद 24 के पैराग्राफ 3 के

तहत या, उस प्रक्रिया के तहत समझौता न होने से, दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा सहमत किसी भी अन्य प्रक्रिया के अनुसार हल किया जाएगा।

3. इस समझौते में कुछ भी चिली के कानून डीएल 600 (विदेशी निवेश कानून) और कानून एन ° 20.848 के प्रावधानों की प्रायोज्यता को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि वे इस करार पर हस्ताक्षर के समय लागू हैं और जैसा कि उन्हें समय-समय पर, उनके सामान्य सिद्धांत को बदले बिना, संशोधित किया जा सकता है।

अनुच्छेद 30

प्रवृत्त होना

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने कानून के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के संबंध में राजनयिक माध्यमों से दूसरे संविदाकारी राज्य को अधिसूचित करेगा। यह करार अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. इस करार के उपबंधों का निम्नानुसार प्रभाव होगा :

(क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में यह करार लागू होता है उसके अनुवर्ती तिथि के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा इसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त की गई आय के संबंध में; और

(ख) चिली में, प्राप्त आय पर करों और भुगतान की गई राशि के संबंध में, एक खाते में जमा, निपटान में डाले गए या खर्च के रूप में गिने गए, जिस कैलेंडर वर्ष में यह करार प्रवृत्त होता है उसके बाद शुरू होने वाले कैलेंडर वर्ष में पहली जनवरी या इसके बाद।

अनुच्छेद 31

समापन

यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि कोई एक संविदाकारी राज्य इसे समाप्त नहीं कर देता। दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य इस करार के लागू होने की तारीख से लेकर पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद शुरू होने वाले किसी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले राजनयिक माध्यम से समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह करार निम्नलिखित के संबंध में निष्प्रभावी हो जाएगा:

(क) भारत में, जिस कैलेंडर वर्ष में समापन का नोटिस दिया जाता है, के ठीक बाद के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त की गई आय के संबंध में; और

(ख) चिली में, प्राप्त आय पर करों और भुगतान की गई राशि के संबंध में, एक खाते में जमा, निपटान में डाले गए या खर्च के रूप में गिने गए, जिस कैलेंडर वर्ष में नोटिस दिया गया है उसके बाद शुरू होने वाले कैलेंडर वर्ष में पहली जनवरी या इसके बाद।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

तारीख 09/03/2020

अंग्रेजी, हिंदी और स्पेनिश भाषाओं में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की

सरकार की ओर से

Sd/-

सुश्री अनिता नायर

चिली गणराज्य में भारत के राजदूत

चिली गणराज्य की

सरकार की ओर से

Sd/-

श्री इग्रशिओ ब्रिओनेस

वित्त मंत्री, चिली गणराज्य

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान को समाप्त करने और राजकोषीय अपवंचन को रोकने तथा उसका परिहार करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा चिली गणराज्य की सरकार के बीच करार और प्रोटोकॉल

चिली गणराज्य और भारत गणराज्य के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए करार पर हस्ताक्षर करने पर, हस्ताक्षरकर्ताओं ने सहमति व्यक्त की है कि निम्नलिखित प्रावधान इस करार का एक अभिन्न अंग होंगे। यह समझा जाता है कि:

1. सामान्य प्रावधान

(i) भारत के मामले में : इस समझौते में कुछ भी -

(क) होने से यह नहीं माना जाएगा कि भारत एक स्थायी संस्थापन के मुनाफे, जो भारत में चिली के किसी निवासी के हैं, पर उस दर से कर (शाखा लाभ कर सहित) प्रभारित नहीं कर सकता जो भारत में ऐसी ही किसी कम्पनी के मुनाफे पर लगाए गए कर की दर से अधिक है;

(ख) लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या भुगतान की गई किसी भी राशि के लिए एक भारतीय निवासी कंपनी के वितरित लाभ पर अतिरिक्त आयकर को प्रभावित नहीं करेगा;

(ii) चिली के मामले में : इस समझौते में कुछ भी -

(क) प्रथम श्रेणी कर और अतिरिक्त कर दोनों के तहत, चिली में स्थित एक स्थायी संस्थापन के कारण मुनाफे के संबंध में भारत में एक निवासी के चिली में कराधान को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन तब तक जब तक प्रथम श्रेणी कर अतिरिक्त कर की संगणना करने में आकलनीय हो;

(ख) चिली में देय लाभांश भुगतान या लाभ वितरण के संबंध में अतिरिक्त कर की प्रयोज्यता को सीमित नहीं करेगा बशर्ते प्रथम श्रेणी कर अतिरिक्त कर की राशि की संगणना करने में पूरी तरह आकलनीय हो।

(iii) यदि, उस तारीख के बाद जिस तारीख को यह अभिसमय लागू होता है, संविदाकारी राज्यों में से कोई भी उसके घरेलू कानून के तहत पूंजी पर कर लगाता है, तो संविदाकारी राज्य इस प्रकार पूंजी पर लगाए गए किसी कर को शामिल करने के लिए अपने दायरे को बढ़ाते हुए अभिसमय को संशोधित करने हेतु एक प्रोटोकॉल को निष्पन्न करने की दृष्टि से बातचीत शुरू करेंगे। ऐसे किसी भी प्रोटोकॉल की शर्तों में पूंजी पर दोहरे कराधान से राहत के लिए किसी भी संविदाकारी राज्य और एक तीसरे राज्य के बीच किसी भी समझौते को सम्मान दिया जाएगा।

2. Ad. "अनुच्छेद 1

पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, "आर्थिक दृष्टि से पारदर्शी" शब्द का अर्थ ऐसी स्थितियों से है, जहां एक संविदाकारी राज्य के कानून के तहत, किसी इकाई या व्यवस्था की आय या उसके हिस्से पर इकाई या व्यवस्था के स्तर पर कर नहीं लगाया जाता, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के स्तर पर लगाया जाता है जिनकी उस संस्था या व्यवस्था में रुचि है मानो कि उस आय या उसके हिस्से को ऐसे व्यक्तियों द्वारा सीधे उस समय प्राप्त किया जाता है जब उस आय या उसके हिस्से की वसूली होती है, चाहे उस आय या उसके हिस्से को उस इकाई या व्यवस्था द्वारा ऐसे व्यक्तियों को वितरित किया जाता है या नहीं।

3. Ad. अनुच्छेद 2 और 3

अनुच्छेद 2 एवं 3 के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि "कर" शब्द में ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी, जो उन करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संदर्भ में देय हो, जिन पर यह करार लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड अथवा जुर्माने का द्योतक हो।

4. Ad. "अनुच्छेद 3

अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 उप-पैराग्राफ (घ) के संबंध में, "व्यक्तियों की कोई भी अन्य संस्था" शब्द के अर्थ की अधिक निश्चितता के लिए, यह समझा जाता है कि कोई भी इकाई जो सम्बंधित संविदाकारी राज्य में लागू कराधान कानूनों के तहत कर योग्य इकाई मानी गई है, उसे व्यक्तियों की संस्था माना जाएगा।

5. Ad. "अनुच्छेद 5

अनुच्छेद 5 और 7 के दुरुपयोग को रोकने के प्रयोजनार्थ, अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 3 में समय सीमा की गणना करने के लिए, किसी अन्य उद्यम से जुड़े उद्यम द्वारा की गई गतिविधियों को उस अवधि के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके दौरान उद्यम द्वारा गतिविधियां की जाती हैं यदि संबद्ध उद्यमों की गतिविधियां समान रूप से जुड़ी हुई हैं या काफी हद तक समान

हैं। पूर्ववर्ती वाक्य के प्रयोजनार्थ, एक उद्यम को दूसरे उद्यम के साथ संबद्ध माना जाएगा यदि कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में भाग लेता है, या वही व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दोनों उद्यमों के प्रबंधन, नियंत्रण या पूंजी में भाग लेता/लेते हैं/हैं।

6. Ad. “अनुच्छेद 7

अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के प्रयोजनार्थ, एक संविदाकारी राज्य द्वारा अनुमत की जाने वाली व्यय की कटौतियां उस संविदाकारी राज्य के कर कानूनों की सीमाओं के अध्यक्षीन और उसके प्रावधानों के अनुसार होंगी।

7. Ad. “अनुच्छेद 8

अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ, संपत्ति में वस्तुएं, पशुधन और मेल शामिल हैं।

8. Ad. “अनुच्छेद 9

चिली के मामले में और इस समझौते के किसी भी प्रावधान के बावजूद, चिली, किसी भी स्थिति में, अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 2 में संदर्भित परिस्थितियों में एक यथोचित समायोजन करने या स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जो कर रिफंड के संबंध में इसके घरेलू कर कानूनों में दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद या पांच साल के बाद, जो भी अधिक हो, उस वर्ष के अंत से जिसमें लाभ इस तरह के परिवर्तन के अध्यक्षीन होंगे जो भारत के एक उद्यम को प्राप्त हुए होते, प्रदान किया गया है।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

में, दिनांक 09/03/2020

को अंग्रेजी, हिंदी और स्पेनिश भाषाओं में दो प्रतियों में

निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की

चिली गणराज्य की

सरकार की ओर से

सरकार की ओर से

Sd/-

Sd/-

सुश्री अनिता नायर

श्री इग्रशिओ ब्रिओनेस

चिली गणराज्य में भारत के राजदूत

वित्त मंत्री, चिली गणराज्य

[अधिसूचना सं. 24/2023/फा. सं.500/62/2017-एफ टी & टी आर-V(पार्ट-III)]

राजेश कुमार भूत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

(Income-Tax)

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2059(E).—Whereas, an Agreement and Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Chile for the elimination of double taxation and the prevention of fiscal evasion and avoidance with respect to taxes on income, was signed at Chile on the 9th day of March, 2020, as set out in the Annexure to this notification (hereinafter referred to as *the Agreement and Protocol*);

And whereas, the said Agreement and Protocol entered into force on the 19th day of October, 2022, being the date of the later of the notifications of the completion of the procedures required by the respective laws of the Contracting States for entry into force of the said Agreement and Protocol, in accordance with paragraph 1 of Article 30 of the said Agreement;

And whereas, sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Article 30 of the said Agreement provides that the provisions of the Agreement shall have effect in India in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the date on which the Agreement enters into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said Agreement and Protocol, as annexed hereto, shall be given effect to in the Union of India.

ANNEXURE
AGREEMENT
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE REPUBLIC OF CHILE
FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION AND AVOIDANCE
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Chile,

Desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in tax matters,

Intending to conclude an Agreement for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Agreement for the indirect benefit of residents of third States),

Have agreed as follows:

Article 1

PERSONS COVERED

1. This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
2. For the purposes of this Agreement, income derived by or through an entity or arrangement that is established in either Contracting State and that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either Contracting State shall be considered to be income of a resident of a Contracting State, but only to the extent that the income is treated, for the purposes of taxation by that Contracting State, as the income of a resident of that Contracting State.
3. This Agreement shall not affect the taxation, by a Contracting State, of its residents, except with respect to the benefits granted under paragraph 2 of Article 9 and Articles 19, 20, 22, 23, 24 and 27.

Article 2

TAXES COVERED

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State, or of its political subdivisions or local authorities irrespective of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amount of wages or salaries paid by enterprises, as well as on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are in particular:
 - (a) in India, the income tax including any surcharge thereon; (hereinafter referred to as “Indian Tax”);
 - (b) in Chile, the taxes imposed under the Income Tax Act, “Ley sobre Impuesto a la Renta” (hereinafter referred to as “Chilean tax”);
5. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

Article 3**GENERAL DEFINITIONS**

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
 - (a) the term “India” means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law;
 - (b) the term “Chile” means the Republic of Chile and includes any area outside the territorial sea designated under the laws of the Republic of Chile and in accordance with international law as an area within which the Republic of Chile may exercise sovereign rights with regard to the seabed and subsoil and their natural resources;
 - (c) the terms a “Contracting State” and “the other Contracting State” mean India or Chile, as the context requires;
 - (d) the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
 - (e) the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 - (f) the term “enterprise” applies to the carrying on of any business;
 - (g) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
 - (h) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft except when the ship or aircraft is operated solely between places in a Contracting State and the enterprise that operates the ship or aircraft is not an enterprise of that State;
 - (i) the term “competent authority” means:
 - (i) in India, the Finance Minister, Government of India, or his authorized representative; and
 - (ii) in Chile, the Minister of Finance, the Commissioner of the Revenue Service or their authorised representative;
 - (j) the term “national” means:
 - (i) any individual possessing the nationality of a Contracting State;
 - (ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State;
 - (k) the term “tax” means Indian or Chilean tax, as the context requires.
 - (l) the term “fiscal year” means:
 - (i) in the case of India: the financial year beginning on the 1 day of April;
 - (ii) in the case of Chile: as defined in domestic law.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4**RESIDENT**

1. For the purposes of this Agreement, the term “resident of a Contracting State” means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State or capital situated therein.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- (a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;
- (c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;
- (d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State of which it is a national. If the person is a national of both Contracting States or of neither of them the Contracting States shall by mutual agreement procedure endeavour to settle the question. In the absence of a mutual agreement by the competent authorities of the Contracting States, the person shall not be entitled to any relief or exemption from tax provided by the Agreement.

ARTICLE 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term "permanent establishment" includes especially:
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch;
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (e) a workshop;
 - (f) a sales outlet;
 - (g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;
 - (h) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources; and
 - (i) an installation or structure, or plant or equipment, used for the exploration for or exploitation of natural resources.
3. The term "permanent establishment" shall also include:
 - (a) A building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, but only if such site, project or activities last for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days within any twelve month period;
 - (b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other individuals engaged by the enterprise for such purpose where such activities continue within the country for a period or periods aggregating more than 183 days within any twelve month period;
 - (c) the carrying on of activities (including the operation of substantial equipment) by an enterprise of a Contracting State in the other State in the exploration for or exploitation of natural resources situated in that other State for a period or periods exceeding in the aggregate 90 days in any 12 month period.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
 - (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, supplying information or carrying out scientific research for the enterprise;

provided that such activity is of a preparatory or auxiliary character.

4.1 Paragraph 4 shall not apply to a fixed place of business that is used or maintained by an enterprise if the same enterprise or a closely related enterprise carries on business activities at the same place or at another place in the same Contracting State and

- a) that place or other place constitutes a permanent establishment for the enterprise or the closely related enterprise under the provisions of this Article, or
- b) the overall activity resulting from the combination of the activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, is not of a preparatory or auxiliary character,

provided that the business activities carried on by the two enterprises at the same place, or by the same enterprise or closely related enterprises at the two places, constitute complementary functions that are part of a cohesive business operation.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 7, where a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

- (a) habitually concludes contracts, or habitually plays the principal role leading to the conclusion of contracts that are routinely concluded without material modification by the enterprise, and these contracts are
 - (i) in the name of the enterprise, or
 - (ii) for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that enterprise or that the enterprise has the right to use, or
 - (iii) for the provision of services by that enterprise,

unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business (other than a fixed place of business to which paragraph 4.1 would apply), would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

- (b) does not habitually conclude contracts nor plays the principal role leading to the conclusion of such contracts, but habitually maintains in that State a stock of goods or merchandise from which that person regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise; or
- (c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to reinsurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.

7. Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an independent agent and acts for the enterprise in the ordinary course of that business.

Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or more enterprises to which it is closely related, that person shall not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any such enterprise.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

9. For the purposes of this Article, a person or enterprise is closely related to an enterprise if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same persons or enterprises.

In any case, a person or enterprise shall be considered to be closely related to an enterprise if one possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interests in the other (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) or if another person or enterprise possesses directly or indirectly more than 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, more than 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person and the enterprise or in the two enterprises.

ARTICLE 6**INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY**

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. For the purposes of this Agreement, the term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7**BUSINESS PROFITS**

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on or has carried on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.
4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8**INTERNATIONAL SHIPPING AND AIR TRANSPORT**

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State. Profits derived by an enterprise from the inland transport of property or passengers within either Contracting State shall be treated as profits from the operation of ships or aircraft in international traffic if such transport is undertaken as part of international transport conducted by such enterprise.
2. Profits derived by a transportation enterprise which is a resident of a Contracting State from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers and other equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise in international traffic which is incidental to its international operations of ships or aircraft shall be taxable only in that Contracting State unless the containers are used solely within the other Contracting State.
3. Interest on investments directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft under this article if they are integral and

incidental to the carrying on of such business, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State, if it agrees that the adjustment made by the first mentioned State is justified both in principle and as regards the amount, shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
3. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums attaching to such bonds or debentures, as well as income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises. However, the term "interest" does not include income dealt with in Article 8 or in Article 10.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematographic films or films, or tapes used for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other similar intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties whether a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties exceeds, for whatever reason the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12A

FEEES FOR TECHNICAL SERVICES

1. Fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, notwithstanding the provisions of Article 14 and subject to the provisions of Articles 8, 16 and 17, fees for technical services arising in a Contracting State may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the fees is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the fees.

3. The term “fees for technical services” as used in this Article means any payment in consideration for any service of a managerial, technical or consultancy nature, unless the payment is made:

- (a) to an employee of the person making the payment;
- (b) for teaching in an educational institution or for teaching by an educational institution, as part of a degree granting program; or
- (c) by an individual for services for the personal use of an individual.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the fees for technical services arise through a permanent establishment situated in that other State, or performs in the other Contracting State independent personal services from a fixed base situated in that other State, and the fees for technical services are effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. For the purposes of this Article, subject to paragraph 6, fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State if the payer is a resident of that State or if the person paying the fees, whether that person is a resident of a Contracting State or not, has in the first-mentioned Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the fees was incurred, and such fees are borne by the permanent establishment or fixed base.

6. For the purposes of this Article, fees for technical services shall be deemed not to arise in a Contracting State if the payer is a resident of that State and carries on business in the other Contracting State or a third State through a permanent establishment situated in that other State or the third State, or performs independent personal services through a fixed base situated in that other State or the third State and such fees are borne by that permanent establishment or fixed base.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner of the fees for technical services or between both of them and some other person, the amount of the fees, having regard to the services for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the fees shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of shares, other rights representing the capital of a company, or comparable interests, such as interests in a partnership or trust, may be taxed in the other Contracting State if, at any time during the 365 days preceding the alienation, these shares, rights or comparable interests derived more than 50 per cent of their value directly or indirectly from immovable property, as defined in Article 6, situated in that other State.

5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation, directly or indirectly, of shares or other rights representing the capital of a company that is a resident of the other Contracting State, other than those mentioned in paragraph 4 may be taxed in that other Contracting State.

6. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

ARTICLE 14**INDEPENDENT PERSONAL SERVICES**

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that Contracting State, except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State.

- (a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
- (b) if he is present in the other Contracting State for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any period of twelve months; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, surgeons, dentists and accountants.

ARTICLE 15**DEPENDENT PERSONAL SERVICES**

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived there from may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer being a person who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment, as a member of the regular complement of a ship or aircraft, that is exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, other than aboard a ship or aircraft operated solely within the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.

Article 16**DIRECTORS' FEES**

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17**ARTISTES AND SPORTSPERSONS**

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Article 7, 14 and 15 be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportspersons are exercised.

3. Notwithstanding paragraph 1 of this Article where income accrues from the exercise of activities by entertainers or sportspersons in a Contracting State and the visit to that State is financed wholly or mainly from public funds of the other Contracting State, the first-mentioned State shall not tax the entertainers or sportspersons on income provided from such public funds paid from that other Contracting State.

Article 18**PENSIONS**

Pensions arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned State.

Article 19**GOVERNMENT SERVICE**

1. (a) Salaries, wages and other remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
(b) However, such salaries, wages and other remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
 - (i) is a national of that State; or
 - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. The provisions of Articles 15, 16 and 17 shall apply to salaries, wages and other remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.

Article 20**STUDENTS**

Payments which a student, apprentice or business trainee who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

Article 21**OTHER INCOME**

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

Article 22**METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION**

Double taxation shall be eliminated as follows:

1. In India:
 - (a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Chile, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the tax paid in Chile.

Such deduction shall not, however, exceed that portion of the tax as computed before the deduction is given, which is a attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Chile
 - (b) Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of India is exempt from tax in India, India may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such resident, take into account the exempted income.

2. In Chile:

- (a) residents in Chile, deriving income which has, in accordance with the provisions of this Agreement, been subject to taxation in India, may credit the tax so paid against any Chilean tax payable in respect of the same income, subject to the applicable provisions of the law of Chile (which shall not affect the general principle of this Article). This paragraph shall apply to all income referred to in this Agreement;
- (b) where, in accordance with any provision of the Agreement, income derived by a resident of Chile is exempt from tax in Chile, Chile may nevertheless, in calculating the amount of tax on other income, take into account the exempted income.

Article 23**NON-DISCRIMINATION**

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to individuals who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 6 of Article 11, paragraph 6 of Article 12, or paragraph 7 of Article 12A apply, interest, royalties, other disbursements and fees for technical services paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.
4. Companies of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar companies of the first-mentioned State are or may be subjected.
5. In this Article, the term "taxation" means taxes that are subject of this Agreement.

Article 24**MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE**

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by a mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 25**EXCHANGE OF INFORMATION**

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf

of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information (including documents or certified copies of the documents) which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 26

ASSISTANCE IN THE COLLECTION OF TAXES

The Contracting States may lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

Article 27

MEMBERS OF DIPLOMATIC MISSIONS AND CONSULAR POSTS

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 28

LIMITATION OF BENEFITS

1. Except as otherwise provided in this Article, a resident of a Contracting State shall not be entitled to a benefit that would otherwise be accorded by this Agreement (other than a benefit under paragraph 3 of Article 4 or Article 23) unless such resident is a “qualified person”, as defined in paragraph 2, at the time that the benefit would be accorded.

2. A resident of a Contracting State shall be a qualified person at a time when a benefit would otherwise be accorded by the Agreement if, at that time, the resident is:

- a) an individual;
- b) that Contracting State, or a political subdivision or local authority thereof, or an agency or instrumentality of that State, political subdivision or local authority;
- c) a company or other entity, if the principal class of its shares is regularly traded on one or more recognised stock exchanges;

- d) a person, other than an individual, that is a non-profit organisation agreed upon by the competent authorities of the Contracting States;
- e) a person other than an individual if, at that time and on at least half of the days of a twelve-month period that includes that time, persons who are residents of that Contracting State and that are entitled to benefits of this Agreement under subparagraphs a) to d) own, directly or indirectly, at least 50 per cent of the shares of the person.

3.

- a) A resident of a Contracting State shall be entitled to benefits under this Agreement with respect to an item of income derived from the other Contracting State, regardless of whether the resident is a qualified person, if the resident is engaged in the active conduct of a business in the first-mentioned State and the income derived from the other State emanates from, or is incidental to, that business. For purposes of this Article, the term “active conduct of a business” shall not include the following activities or any combination thereof:
 - (i) operating as a holding company;
 - (ii) providing overall supervision or administration of a group of companies;
 - (iii) providing group financing (including cash pooling); or
 - (iv) making or managing investments, unless these activities are carried on by a bank or financial institutions agreed upon by the competent authorities of the Contracting States, insurance enterprise or registered securities dealer in the ordinary course of its business as such.
- b) If a resident of a Contracting State derives an item of income from a business activity conducted by that resident in the other Contracting State, or derives an item of income arising in the other State from a connected person, the conditions described in subparagraph a) shall be considered to be satisfied with respect to such item only if the business activity carried on by the resident in the first-mentioned State to which the item is related is substantial in relation to the same or complementary business activity carried on by the resident or such connected person in the other Contracting State. Whether a business activity is substantial for the purposes of this paragraph shall be determined based on all the facts and circumstances.
- c) For purposes of applying this paragraph, activities conducted by connected persons with respect to a resident of a Contracting State shall be deemed to be conducted by such resident.

4. A company that is a resident of a Contracting State shall also be entitled to a benefit that would otherwise be accorded under Article 10 if:

- a) at the time when the benefit otherwise would be accorded and on at least half of the days of any twelve-month period that includes that time, at least 95 per cent of the aggregate vote and value of its shares (and at least 50 per cent of the aggregate vote and value of any disproportionate class of shares) is owned, directly or indirectly, by seven or fewer persons that are equivalent beneficiaries, provided that in the case of indirect ownership, each intermediate owner is a qualifying intermediate owner, and
- b) less than 50 per cent of the person’s gross income, and less than 50 per cent of the tested group’s gross income, for the taxable period that includes that time, as determined in the person’s Contracting State of residence, is paid or accrued, directly or indirectly, in the form of payments that are deductible for purposes of the taxes covered by this Agreement in the person’s Contracting State of residence (but not including arm’s length payments in the ordinary course of business for services or tangible property, and in the case of a tested group, not including intra-group transactions) to persons that are not equivalent beneficiaries.

5. If a resident of a Contracting State is neither a qualified person pursuant to the provisions of paragraph 2 of this Article, nor entitled to benefits under paragraph 3 or 4, the competent authority of the Contracting State in which benefits are denied under the previous provisions of this Article may, nevertheless, grant the benefits of this Agreement, or benefits with respect to a specific item of income, taking into account the object and purpose of this Agreement, but only if such resident demonstrates to the satisfaction of such competent authority that neither its establishment, acquisition or maintenance, nor the conduct of its operations, had as one of its principal purposes the obtaining of benefits under this Agreement. The competent authority of the Contracting State to which a request has been made, under this paragraph, by a resident of the other State, shall consult with the competent authority of that other State before either granting or denying the request.

6. For the purposes of this and the previous paragraphs of this Article:

- a) the term “recognised stock exchange” means:

- (i) any stock exchange established and regulated as such under the laws of either Contracting State; and
 - (ii) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting States;
- b) with respect to entities that are not companies, the term “shares” means interests that are comparable to shares;
- c) the term “principal class of shares” means the class or classes of shares of a company or entity which represents the majority of the aggregate vote and value of the company or entity;
- d) two persons shall be “connected persons” if one owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest in the other (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) or another person owns, directly or indirectly, at least 50 per cent of the beneficial interest (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate vote and value of the company's shares) in each person. In any case, a person shall be connected to another if, based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under the control of the same person or persons.
- e) the term “equivalent beneficiary” means any person who would be entitled to benefits with respect to an item of income accorded by a Contracting State under the domestic law of that Contracting State, this Agreement or any other international agreement which are equivalent to, or more favourable than, benefits to be accorded to that item of income under this Agreement. For the purposes of determining whether a person is an equivalent beneficiary with respect to dividends received by a company, the person shall be deemed to be a company and to hold the same capital of the company paying the dividends as such capital the company claiming the benefit with respect to the dividends holds;
- f) the term “disproportionate class of shares” means any class of shares of a company or entity resident in one of the Contracting States that entitles the shareholder to disproportionately higher participation, through dividends, redemption payments or otherwise, in the earnings generated in the other Contracting State by particular assets or activities of the company;
- g) the term “qualifying intermediate owner” means an intermediate owner that is either:
 - (i) a resident of a State that has in effect with the Contracting State from which a benefit under this Agreement is being sought a comprehensive agreement for the avoidance of double taxation; or
 - (ii) a resident of the same Contracting State as the company applying the test under paragraph 4 to determine whether it is eligible for benefits under the Agreement;
- h) the term “tested group” means the resident of a Contracting State that is applying the test under paragraph 4 to determine whether it is eligible for benefits under the Agreement (the “tested resident”), and any company or permanent establishment that:
 - (i) participates as a member with the tested resident in a tax consolidation, fiscal unity or similar regime that requires members of the group to share profits or losses; or
 - (ii) shares losses with the tested resident pursuant to a group relief or other loss sharing regime in the relevant taxable period;
- i) the term “gross income” means gross receipts as determined in the person's Contracting State of residence for the taxable period that includes the time when the benefit would be accorded, except that where a person is engaged in a business that includes the manufacture, production or sale of goods, “gross income” means such gross receipts reduced by the cost of goods sold, and where a person is engaged in a business of providing non-financial services, “gross income” means such gross receipts reduced by the direct costs of generating such receipts, provided that:
 - (i) except when relevant for determining benefits under Article 10 of this Agreement, gross income shall not include the portion of any dividends that are effectively exempt from tax in the person's Contracting State of residence, whether through deductions or otherwise; and
 - (ii) except with respect to the portion of any dividend that is taxable, a tested group's gross income shall not take into account transactions between companies within the tested group.

7. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of paragraphs 1 to 6 of this Article.

8. Where an enterprise of a Contracting State derives income from the other Contracting State and the income from the other Contracting State is attributable to a permanent establishment which that enterprise has in a third jurisdiction, the tax benefits that would otherwise apply under other provisions of the Agreement will not apply to

that income if the combined tax that is actually paid with respect to such income in the first-mentioned State and in the third jurisdiction is less than 60 per cent of the tax that would be imposed in the first-mentioned State if the income were earned or received in that State by the enterprise and were not attributable to the permanent establishment in the third jurisdiction. Any income to which the provisions of this paragraph apply shall be subject to tax under the provisions of the domestic law of the other State, notwithstanding any other provision of the Agreement.

9. Notwithstanding the other provisions of this Agreement, a benefit under this Agreement shall not be granted in respect of an item of income if it is reasonable to conclude, having regard to all relevant facts and circumstances, that obtaining that benefit was one of the principal purposes of any arrangement or transaction that resulted directly or indirectly in that benefit, unless it is established that granting that benefit in these circumstances would be in accordance with the object and purpose of the relevant provisions of this Agreement.

10. The provisions of this Agreement shall in no case prevent a Contracting State from the application of the provisions of its domestic law and measures concerning tax avoidance or evasion.

11. Notwithstanding the provisions of this Agreement, a Contracting State shall maintain its right to tax in accordance with its domestic legislation an income arising in that State and derived by a resident of the other Contracting State where such income is not effectively subject to tax in that other Contracting State.

Article 29

MISCELLANEOUS RULES

1. With respect to pooled investment accounts or funds, that are subject to a remittance tax and are required to be administered by a resident in Chile, the provisions of this Agreement shall not be interpreted to restrict imposition by Chile of the tax on remittances from such accounts or funds in respect of investment in assets situated in Chile.

2. For the purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of this Agreement may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States. Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 3 of Article 24 or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both Contracting States.

3. Nothing in this Agreement shall affect the application of the provisions of the Chilean legislation DL 600 (Foreign Investment Statute) and Law N°20.848, as they are in force at the time of signature of this Agreement and as they may be amended from time to time without changing the general principle thereof.

Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. Each of the Contracting States shall notify the other through the diplomatic channels of the completion of the procedures required by law for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications.

2. The provisions of this Agreement shall have effect:

- (a) in India, in respect of income derived in any fiscal year beginning on or after the first day of April next following the date on which the Agreement enters into force; and
- (b) in Chile, in respect of taxes on income obtained and amounts paid, credited to an account, put at the disposal or accounted as an expense, on or after the first day of January in the calendar year next following that in which this Agreement enters into force.

Article 31

TERMINATION

This Agreement shall remain in force indefinitely until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiration of five years from the date of entry into force of the Agreement. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

- (a) in India, in respect of income derived in any fiscal year on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice is given; and
- (b) in Chile, in respect of taxes on income obtained and amounts paid, credited to an account, put at the disposal or accounted as an expense, on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at Santiago, Republic of Chile, this 9th March 2020, in the English, Hindi and Spanish languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA**

Sd/-

Ms. Anita Nayar

Ambassador of India to Republic of Chile

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF CHILE**

Sd/-

Mr. Ignacio Briones

Minister of Finance, Republic of Chile

**PROTOCOL TO THE AGREEMENT
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE REPUBLIC OF CHILE
FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION AND AVOIDANCE WITH RESPECT
TO TAXES ON INCOME**

On signing the Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income between the Republic of Chile and the Republic of India, the signatories have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement. It is understood that:

1. General provision

(i) In the case of India: Nothing in this Agreement –

(a) shall be construed as preventing India from charging the profits of a permanent establishment which a resident of Chile has in India at a rate of tax (including branch profits tax) which is higher than that imposed on the profits of a similar company of India;

(b) shall affect the additional income-tax on distributed profits of an Indian resident company for any amount declared, distributed or paid by way of dividends;

(ii) In the case of Chile: Nothing in this Agreement –

(a) shall affect the taxation in Chile of a resident in India in respect of profits attributable to a permanent establishment situated in Chile, under both the First Category Tax and the Additional Tax but only as long as the First Category Tax is creditable in computing the Additional Tax;

(b) shall limit the application of the Additional Tax in respect of dividend payments or profit distribution payable in Chile provided that the First Category Tax is fully creditable in computing the amount of Additional tax.

(iii) If, after the date on which the Agreement enters into force, either Contracting State introduces a tax on capital under its domestic law, the Contracting States will enter into negotiations with a view to concluding a Protocol to amend the Agreement by extending its scope to include any tax on capital so introduced. The terms of any such Protocol shall have regard to any agreements between either Contracting State and a third State for the relief of double taxation on capital.

2. Ad. Article 1

For purposes of paragraph 1, the term “fiscally transparent” means situations where, under the law of a Contracting State, income or part thereof of an entity or arrangement is not taxed at the level of the entity or arrangement but at the level of the persons who have an interest in that entity or arrangement as if that income or part thereof were directly derived by such persons at the time when that income or part thereof is realized whether or not that income or part thereof is distributed by that entity or arrangement to such persons.

3. Ad. Articles 2 and 3

For purpose of Articles 2 and 3, it is clarified that the term “tax” shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes.

4. Ad. Article 3

With respect to paragraph 1 subparagraph (d) of Article 3, for greater certainty of meaning of the term “any other body of persons”, it is understood that any entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting State shall be regarded as a body of persons.

5. Ad. Article 5

For the purposes of preventing misuse of Articles 5 and 7, in computing the time limits in paragraph 3 of Article 5, activities carried on by an enterprise associated with another enterprise shall be aggregated with the period during which activities are carried on by the enterprise if the activities of the associated enterprises are connected or substantially similar. For the purposes of the preceding sentence, an enterprise shall be deemed to be associated with another enterprise if one participates directly or indirectly in the management, control or capital of the other, or the same person or persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of both enterprises.

6. Ad. Article 7

For the purpose of paragraph 3 of Article 7, the deductions of expenses to be allowed by a Contracting State shall be in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that Contracting State.

7. Ad. Article 8

For the purpose of paragraph 1 of Article 8, property includes goods, livestock and mail.

8. Ad. Article 9

In the case of Chile and notwithstanding any provisions of this Agreement, Chile, in any case, shall not be obliged to make or accept an appropriate adjustment in the circumstances referred to in paragraph 2 of Article 9 after the expiry of the time limits provided for in its domestic tax laws regarding tax refunds, or after five years, whichever is the higher, from the end of the year in which the profits which would be subject to such change would have accrued to an enterprise of India.

IN WITNESS WHEREOF the signatories, duly authorised to that effect, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at Santiago, Republic of Chile, this 9th March 2020, in the English, Hindi and Spanish languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA**

Sd/-

Ms. Anita Nayar

Ambassador of India to Republic of Chile

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF CHILE**

Sd/-

Mr. Ignacio Briones

Minister of Finance, Republic of Chile

[Notification No. 24/2023/ F. No.500/62/2017-FT&TR-V (Pt-III)]

RAJESH KUMAR BHOOT, Jt. Secy.